न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 161/23
(जीसीएमएस संख्या 2023/233)

निर्णय दिनांकः– 28-12-23

1. सहीराम पुत्र जोराराम जाति बिश्नोई निवासी माणकासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 19–09–2022
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

उपस्थितः–

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 19–09–2022 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन आवेदन निरस्त किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इ. गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 25 एमजीएम के मुरब्बा नम्बर 161/38 की भूमि आवंटन किये जाने हेतु श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19–09–2022 को अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना सरासर एकतरफा तौर पर अपीलांट का विशेष आवंटन आवेदन को निरस्त कर दिया जो कानून एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट सहीराम द्वारा पूर्व में आवंटन प्रार्थना पत्र में अगूंठा निशानी अंकित किया गया था तथा कालान्तर में अन्य व्यक्ति के पानमल के माध्यम से हस्ताक्षर अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर ही प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है, सद्भावी काश्तकार है व बीकानेर, राजस्थान का मूल निवासी है। अपीलांट् भूमि आवंटन की पात्रता रखता है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया है। जो कानून व विधि के विरूद्व है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–09–2022 के विरूद्व अपील दिनांक 16–08–23 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंगूठा निशानी अंकित है तथा कालान्तर में प्रार्थना पत्र अन्य व्यक्ति पानमल के माध्यम से हस्ताक्षर अंकित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में भूमि आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–09–2022 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 16–08–2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिनांक 11–09–2007 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के समक्ष विशेष आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र पर अपने अगूंठा निशानी अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। कालान्तर में अपीलांट् द्वारा अन्य व्यक्ति पानमल के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अपीलांट् सहीराम के हस्ताक्षर अंकित किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् के प्रार्थना पत्र पर यह संदेह उत्पन्न होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं सहीराम द्वारा प्रस्तुत किया गया है अथवा अन्य किसी व्यक्ति अर्थात पानमल द्वारा सहीराम के अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर अंकित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में चूंकि अपीलांट् स्वयं का कृत्य ही उन्हें संदेह के घेरे में लाता है तथा अपीलांट् स्वयं यह साबित नहीं कर पाये है कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र स्वयं सहीराम द्वारा प्रस्तुत किया गया है अथवा अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर भूमि आवंटन की कार्यवाही नहीं किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए ही अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवेदन पत्र विधि सम्मत तरीके से खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, बज्जू का आदेश दिनांक 19–09–2022 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28/12/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर